

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर, मावली, उदयपुर

प्रार्थी शुलगान विपक्षी शाहजूर
 किस्म मुकदमा २१५ पत्रावली संख्या १५३/०१ सन

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर
	<p><u>१०/१/२३</u> आज दिनांक की कार एवंगिरीशन मावली में कार्य स्थगित रखने का आदेश किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक.... ...<u>२१/५/२३</u>.....को पेश हो।</p>	
	<p><u>२०/५/२३</u> पत्रावली तलब की गई। "प्रशासन गांवों के संघ अभियान-२०२३" आयोजित किया जाने से पत्रावली में अधिवक्ता पक्षकारान को सूचित किया जाकर पत्रावली कैम्प <u>डब्लूक</u> दिनांक <u>२१/५/२३</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर (SDO) मावली</p>	
	<p><u>३/५/२३</u> पत्रावली आज कैम्प में पेश हुई। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजी-नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय हाजा में दिनांक-<u>३१/५/२३</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर (SDO) मावली</p>	
<p>कि. शुक्रगुप्त कि. गुरुकु सजीव अमीता २३/५/२३</p>	<p><u>१८/७/२३</u> पत्रावली अधिवक्ता वादीगण मध्य वादीगण द्वारा ज.पत्रावली/मध्य विद्रो का पेश करने पर तलब की गई। वादी सं. ३ फॉफ होने का पत्र ०२२२३ CPC का पेश किया। रा. का. रहे। अधि. वादी ही ज.पत्र ०२२२३ CPC पर अधि. सुरी गई। अधि. ज.पत्र ०२२२३ CPC का खर्चा किया जाकर वादी सं. ३ के वादिस को रेकर्ड पर लिया जाने का आदेश दिया जाया है। में सर्विक पेश किया। वा. का. रहे। वादीगण द्वारा उपस्थित होकर पक्षकारान के मध्य आपसी समझौता हो जाने से सब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं बाह्यकर प्रकरण को बन्दी स्वर पर ड्रॉप किया जाने का निवेदन किया। अधि. वादीगण कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण को आगे बलाये जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। वादीगण की पहचान इनके अधिवक्ता द्वारा की गई। अतः वादीगण कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण को बन्दी स्वर पर ड्रॉप किया जाया है। पत्रावली कैम्पल सुमाट होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर (SDO) मावली</p>	

